Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 156-2025/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 8 सितम्बर, 2025
(17 भाद्रपद, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 15/संवि/अनु० 309/2025 दिनांक 8 सितम्बर, 2025– हरियाणा महिला तथा बाल विकास विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2025.	3091—3106
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

महिला तथा बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 सितम्बर, 2025

संख्या सा०का०नि० 15/संवि/अनु० 309/2025.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा महिला तथा बाल विकास विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1997 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा महिला तथा बाल विकास विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा महिला तथा बाल विकास विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1997 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) उप निदेशक (समेकित बाल विकास सेवाएं) की दशा में,–

(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और

(ii) 50 प्रतिशत **जिला कार्यक्रम अधिकारी** (महिला) में से पदोन्नति द्वारा ;

(ख) उप निदेशक (कल्याण) की दशा में,–

(i) अधीक्षक या प्रचार अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) प्रबन्धक, पंजीरी प्लांट की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) **जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला)** की दशा में,–

(i) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और

(ii) 75 प्रतिशत **महिला तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला)** या न्यूट्रिशनिस्ट (महिला) में से पदोन्नति द्वारा ;

(ड) अधीक्षक की दशा में,–

(i) उप अधीक्षक, निजी सहायक, सहायक प्रभारी, सहायक–एवं–लेखाकार–एवं–कनिष्ठ लेखा परीक्षक–एवं–खजांची या सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) प्रचार अधिकारी की दशा में,–

(i) अनुसंधान अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(छ) **महिला तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला)** की दशा में,–

(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और

(ii) 50 प्रतिशत सुपरवाईजरों में से पदोन्नति द्वारा;

परंतु पदोन्नति का कोटा निम्न अनुसार होगाः–

(क) 90 प्रतिशत पद स्नातक सुपरवाईजरों में से ; और

(ख) 10 प्रतिशत पद 10+2 सुपरवाईजरों में से ;

(ज) न्यूट्रिशनिस्ट (महिला) की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।''।

3. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

अनुशासन,शास्तियां तथा अपीलें:–

14. (1) अनुशासन, शास्तियों और अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा का सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) **नियम, 2016** द्वारा शासित होगा :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) **नियम, 2016** के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (च) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट है।''।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क, ख, ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	स्थाई	अस्थाई	जोड़	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1.	उप निदेशक (समेकित बाल विकास सेवाएं)	—	3	3	**वृत्तिमूलक वेतन स्तर–9, सैल–1 = 53100 रूपये**
2.	उप निदेशक (कल्याण)	—	1	1	**वृत्तिमूलक वेतन स्तर–9, सैल–1 = 53100 रूपये**
3.	प्रबन्धक, पंजीरी प्लांट	—	**3**	**3**	**वृत्तिमूलक वेतन स्तर–9, सैल–1 = 53100 रूपये**
4.	**जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला)**	13	**12**	**25**	**वृत्तिमूलक वेतन स्तर–7, सैल–1 = 44900 रूपये**
5.	अधीक्षक	—	**27**	**27**	**वृत्तिमूलक वेतन स्तर–7, सैल–1 = 44900 रूपये**
6.	प्रचार अधिकारी	—	1	1	**वृत्तिमूलक वेतन स्तर–7, सैल–1 = 44900 रूपये**
7.	**महिला तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला)**	—	148	148	**वृत्तिमूलक वेतन स्तर–6, सैल–1 = 35400 रूपये**
8.	न्यूट्रिशनिस्ट (महिला)	—	1	1	**वृत्तिमूलक वेतन स्तर–6, सैल–1 = 35400 रूपये**

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	उप निदेशक (समेकित बाल विकास सेवाएं)	(i) **किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ मनोविज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/बाल विकास/मानव विकास तथा पारिवारिक अध्ययन में मास्टर डिग्री ;** **अथवा** **किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ खाद्य तथा पोषाहार/ बाल विकास/मानव विकास तथा पारिवारिक अध्ययन में विशेषज्ञता सहित गृह विज्ञान में मास्टर डिग्री ; तथा** (ii) **मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।**	पदोन्नति द्वारा – **जिला कार्यक्रम अधिकारी** (महिला) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
2.	उप निदेशक (कल्याण)	––	पदोन्नति द्वारा – अधीक्षक या प्रचार अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा – (i) अधीक्षक या प्रचार अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; तथा (ii) **मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।**
3.	प्रबन्धक, पंजीरी प्लांट	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ; तथा (ii) **मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।** **टिप्पणः मैकेनिकल इंजीनियर या इलैक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा।**	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा – (i) मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ; (ii) सदृश पद पर तीन वर्ष का अनुभव ; तथा (iii) **मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।**
4.	**जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला)**	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ बाल मनोविज्ञान में विशेषज्ञता सहित मनोविज्ञान में एम.ए./बाल विकास/मानव विकास तथा पारिवारिक अध्ययन में मास्टर ; तथा (ii) **मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।**	पदोन्नति द्वारा – **महिला तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला)** या न्यूट्रीशनिस्ट (महिला) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।

5.	अधीक्षक	––	पदोन्नति द्वारा – उप अधीक्षक या निजी सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; या सहायक प्रभारी या सहायक–एवं–लेखाकार–एवं–लेखा परीक्षक–एवं–खजांची या सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दस वर्ष का अनुभव; टिप्पण :– निजी सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक पदोन्नति के लिए तभी पात्र होंगे यदि उन्होंने अपने कार्य के अतिरिक्त सहायक के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा – (i) उप अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; तथा (ii) **मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।**
6.	प्रचार अधिकारी	––	पदोन्नति द्वारा – अनुसंधान अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा – (i) अनुसंधान अधिकारी के रूप में सात वर्ष का अनुभव; तथा (ii) **मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।**
7.	**महिला तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला)**	(i) **किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ मनोविज्ञान/ खाद्य प्रौद्योगिकी/ बाल विकास/मानव विकास तथा पारिवारिक अध्ययन में मास्टर डिग्री ;** **अथवा** **किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ खाद्य तथा पोषाहार/ बाल विकास/मानव विकास तथा पारिवारिक अध्ययन में विशेषज्ञता सहित गृह विज्ञान में मास्टर डिग्री ; तथा** (ii) **मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।**	पदोन्नति द्वारा – स्नातक योग्यता रखने वाले सुपरवाईजर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; या 10+2 योग्यता रखने वाले सुपरवाईजर के रूप में आठ वर्ष का अनुभव।

8	न्यूट्रिशनिस्ट (महिला)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य तथा पोषाहार में विशेषज्ञता सहित एम0एससी0 गृह विज्ञान; तथा (ii) **मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।**	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा – (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य तथा पोषाहार में विशेषज्ञता सहित एम0एससी0 गृह विज्ञान ; (ii) न्यूट्रिशनिस्ट के पद पर एक वर्ष का अनुभव; तथा (iii) **मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।**

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	उप निदेशक (समेकित बाल विकास सेवाएं)	सरकार	**(i) छोटी शास्तियां :–**	निदेशक	सरकार
2.	उप निदेशक (कल्याण)				
3.	प्रबन्धक, पंजीरी प्लांट		**हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।**		
4.	**जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला)**				
5.	अधीक्षक				
6.	प्रचार अधिकारी		**(ii) बड़ी शास्तियां :–**	सरकार	–––
7.	**महिला तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला)**		**हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।**		
8.	न्यूट्रिशनिस्ट (महिला)				

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	उप निदेशक (समेकित बाल विकास सेवाएं) उप निदेशक (कल्याण) प्रबन्धक, पंजीरी प्लांट **जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला)** अधीक्षक प्रचार अधिकारी **महिला तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला)** न्यूट्रिशनिस्ट (महिला)	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा की समाप्ति; तथा (iii) अधिवर्षिता की आयु पूरी होने से पूर्व लोकहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति।	सरकार।''।

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
महिला तथा बाल विकास विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT

Notification

The 8th September, 2025

No. G.S.R. 15/Const./Art. 309/2025.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Women and Child Development Department (Group B) Services Rules, 1997, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Women and Child Development Department (Group B) Service (Amendment) Rules, 2025.

2. In the Haryana Women and Child Development Department (Group B) Service Rules, 1997 (herein after called the said rules), in rule 9, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Recruitment to the Service shall be made-

(a) in the case of Deputy Director (Integrated Child Development Services),-

(i) **50% by direct recruitment; and**

(ii) **50% by promotion from amongst District Programme Officer (Female);**

(b) in the case of Deputy Director (Welfare),-

(i) by promotion from amongst Superintendent or Publicity Officer; or

(ii) by transfer or deputation of an Officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) in the case of Manager, Panjiri Plant,-

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(d) in the case of **District Programme Officer (Female)**,-

(i) 25% by direct recruitment; and

(ii) 75% by promotion from amongst **Women and Child Development Project Officer (Female)** or Nutritionist (Female);

(e) in the case of Superintendent,-

(i) by promotion from amongst Deputy Superintendent, Personal Assistant, Assistant In charge, Assistant-cum-Accountant-cum-Junior Auditor-cum-Cashier or Assistant or Senior Scale Stenographer; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(f) in the case of Publicity Officer,-

(i) by promotion from amongst Research Officer; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(g) in the case of **Women and Child Development Project Officer (Female)**,-

(i) 50% by direct recruitment; and

(ii) 50% by promotion from amongst Supervisors:

Provided that promotion quota shall be as under:-

(a) 90% from amongst Graduate Supervisors; and

(b) 10% from amongst 10+2 Supervisors;

(h) in the case of Nutritionist (Female),-

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.".

3. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

Discipline, Penalties and appeals.-

"14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, member of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) **Rules, 2016**, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) or clause (f) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) **Rules, 2016** and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.".

4. In the said rules, for Appendices A, B, C and D, the following Appendices shall be substituted, namely:-

"APPENDIX A

(see rule 3)

Serial number	Designation of post	Permanent	Temporary	Total	Scale of Pay
1	2	3	4	5	6
1.	Deputy Director (Integrated Child Development Services)	-	3	3	**FPL-9, Cell-1 ₹53100/-**
2.	Deputy Director (Welfare)	-	1	1	**FPL-9, Cell-1 ₹53100/-**
3.	Manager, Panjiri Plant	-	**3**	**3**	**FPL-9, Cell-1 ₹53100/-**
4.	**District Programme Officer (Female)**	13	**12**	**25**	**FPL-7, Cell-1 ₹44900/-**
5.	Superintendent	-	**27**	**27**	**FPL-7, Cell-1 ₹44900/-**
6.	Publicity Officer	-	1	1	**FPL-7, Cell-1 ₹44900/-**
7.	**Women and Child Development Project Officer (Female)**	-	148	148	**FPL-6, Cell-1 ₹35400/-**
8.	Nutritionist (Female)	-	1	1	**FPL-6, Cell-1 ₹35400/-**

APPENDIX B

(see rule 7)

Serial number	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Deputy Director (Integrated Child Development Services)	(i) **Master degree in Psychology /Food Technology/Child Development/Human Development and Family Studies with atleast 60% marks from a recognized university;** **or** **Master degree in Home Science with Specialization in Food and Nutrition/ Child Development/Human Development and Family Studies with atleast 60% marks from a recognized university; and** (ii) **Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.**	**by promotion-** Five years experience as **District Programme Officer (Female).**
2.	Deputy Director (Welfare)	--	**by promotion-** Five years experience as Superintendent or Publicity Officer; **by transfer or deputation-** (i) Five years experience as Superintendent or Publicity Officer; and (ii) **Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.**
3.	Manager, Panjiri Plant	(i) Degree in Mechanical or Electrical Engineering from recognized university; and (ii) **Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.** **Note: Preference shall be given to candidate having at least 1 year experience as Mechanical Engineer or Electrical Engineer.**	**by transfer or deputation-** (i) Degree in Mechanical or Electrical Engineering; (ii) Three years experienceon analogous post; and (iii) **Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.**
4.	**District Programme Officer (Female)**	(i) M.A Psychology with specialization in Child Psychology/Master in Child Development/Human Development and Family Studies with atleast 55% marks from a recognized university; and (ii) **Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.**	**by promotion-** Three years experience as **Women and Child Development Project Officer (Female)**orNutritionist (Female).

5.	Superintendent	--	**by promotion-** Three years experience as Deputy Superintendent or Personal Assistant; or Ten years experience as Assistant Incharge or Assistant-cum-Accountant-cum-Junior Auditor-cum-Cashier or Assistant or Senior Scale Stenographer; **Note:** Personal Assistant or Senior Scale Stenographer shall be eligible for promotion if he has worked as Assistant for a period of two years in addition to his own duties. **by transfer or deputation-** (i) Five years experience as Deputy Superintendent; and (ii) **Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.**
6.	Publicity Officer	--	**by promotion-** Five years experience as Research Officer; **by transfer or deputation-** (i) Seven years experience as Research Officer; and (ii) **Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.**
7.	**Women and Child Development Project Officer (Female)**	(i) **Master degree in Psychology /Food Technology/ Child Development/ Human Development and Family Studies with atleast 50% marks from a recognized university;** **or** **Master degree in Home Science with Specialization in Food and Nutrition/ Child Development/ Human Development and Family Studieswith atleast 50% marks from a recognized university; and** (ii) **Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.**	**by promotion-** Five years experience as Supervisor having qualification of Graduation; or Eight years experience as Supervisor having qualification of 10+2.

8.	Nutritionist (Female)	(i) M.Sc. Home Science from a recognized university with specialization in Food and Nutrition; and (ii) **Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.**	**by transfer or deputation-** (i) M.Sc. Home Science from a recognized university with specialization in Food and Nutrition; (ii) One year experience as Nutritionist; and (iii) **Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.**

APPENDIX C

[see rule 14 (1)]

Serial number	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Deputy Director (Integrated Child Development Services) Deputy Director (Welfare) Manager, Panjiri Plant **District Programme Officer (Female)** Superintendent Publicity Officer **Women and Child Development Project Officer (Female)** Nutritionist (Female)	Government	**(i) Minor Penalties-** **As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.** **(ii) Major Penalty-** **As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.**	Director Government	Government ---

APPENDIX D

[see rule 14 (2)]

Serial number	Designation of post	Nature of order	Authority empowered to make the order
1	2	3	4
1.	Deputy Director (Integrated Child Development Services)	(i) reducing or withholding the amount of pension admissible under the rules governing pension; (ii) termination of service; and (iii) premature retirement from service in public interest before attaining the age of superannuation.	Government.''.
2.	Deputy Director (Welfare)		
3.	Manager, Panjiri Plant		
4.	**District Programme Officer (Female)**		
5.	Superintendent		
6.	Publicity Officer		
7.	**Women and Child Development Project Officer (Female)**		
8.	Nutritionist (Female)		

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Women and Child Development Department.

12093—L.R.—H.G.P., Pkl.